

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सत्र 2019-20 में आयोजित 64वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकुद प्रतियोगिता 14 वर्ष आयुवर्ग (छात्र-छात्रा) टेबल-टेनिस प्रतियोगिता दिनांक 13.09.2019 से 18.09.2019 तक रा.उ.प्रा.वि., देवपुरा, बूंदी में आयोजित होने जा रही है। निर्देशानुसार उक्त प्रतियोगिता में संभागी खिलाडियों में से राज्य दल गठित करने के लिए चयन समिति एवं निर्णायक मण्डल का गठन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है।

चयन समिति (छात्र)

क्र. सं.	नाम शारीरिक शिक्षक/पदस्थापन स्थान	दायित्व
1.	अतिरिक्त जिला अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बूंदी	संयोजक चयन समिति एवं निर्णायक (छात्र-छात्रा)
2.	श्री विश्वजीत सिंह, शाशि राउप्रावि, सुभाषपुरा, बीकानेर	सदस्य
3.	श्री राजुराम, शाशि रामावि, बिठूडापुरा पाली	सदस्य
4.	श्री किशोर सिंह, शाशि रामावि, हिंगावास सोजत पाली	सदस्य
5.	श्री कैलाश भाम्मु, शाशि राउप्रावि, 67 आरबी रायसिंहनगर गंगानगर	सदस्य

चयन समिति (छात्रा)


1.	श्री त्रिनेत्र शर्मा, शाशि राउमावि, सुरजड़ा, कोलायत, बीकानेर	सदस्य
2.	श्रीमती नीता शर्मा, शाशि राउमावि, भदाना कोटा	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार, शाशि राउप्रावि, पंडितपुरा रतनगढ़ चुरू	सदस्य
4.	श्रीमती हेमलता रावल, शाशि राबाउमावि, सिरौही	सदस्य
5.	श्रीमती लिपिका सरकार, शाशि, राबाउप्रावि, सर्वोदय नगर, पाली	सदस्य

नोट:- चयन समिति के सदस्य निर्णायक का भी कार्य करेंगे। चयन समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य का निकटतम सम्बन्धी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो वे चयन समिति के सदस्य नहीं रहेंगे इसकी कठोरता से पालना की जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया हो तो यह आदेश नवपदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रेषित करें एवं विभागीय बेवसाईड से उक्त आदेश डाउनलोड कर संबंधित संस्था प्रधान से कार्य मुक्त होवें।

संबंधित संस्था प्रधानों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिये प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रतियोगिता प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर पहुंचने हेतु यथासमय कार्यमुक्त करें। इनमें से किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है तो उक्त आदेश को नवपदस्थापित स्थान पर भेजते हुए इस कार्यालय को सूचित करें। इन कार्मिकों को कार्यमुक्त करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा की होगी। यदि कोई कार्मिक प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

चयन कार्य हेतु आवश्यक निर्देश सलंगन किये जा रहे हैं इनका कठोरता से पालन करें। प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एवं संबंधित आयोजक संस्था प्रधान उपस्थिति पंजिका में प्रतिनियुक्त कार्मिकों के हस्ताक्षर करवायेगें। चयन समिति एवं निर्णायक मण्डल के सदस्य महत्वपूर्ण कार्य को खेल भावना का परिचय देते हुए उत्तरदायित्व सहित सम्पन्न करेगें। चयन समिति/निर्णायक के संयोजक के अनुपस्थित रहने की स्थिति में चयन समिति/निर्णायक के सदस्य संख्या-2 संयोजक का कार्य करेगें। चयन समिति में अनुपस्थित सदस्यों की संख्यानुसार संयोजक खेलकुद प्रतियोगिता एवं संयोजक चयन समिति आपसी सहमति से उपस्थित निर्णायक मण्डल में से प्रतिनियुक्त कर सकेंगे जिसकी सुचना इस कार्यालय को ई-मेल आई डी khelkood.ele@gmail.com पर प्रेषित करेंगे। साथ ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संयोजक को निर्देशित किया जाता है कि प्रतियोगिता संबंधी समस्त वांछित रिकॉर्ड परिशिष्ट "ब" के अनुरूप पूर्ण होने पर ही चयन समिति के सदस्यों को कार्यमुक्त किया जावे।

प्रतिनियुक्त कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा।



(ओम कसेरा)IAS
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : 09.09.19

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7516/2019-20/195

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. समस्त संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा ।
4. प्रतियोगिता आयोजक रा.उ.प्रा.वि., देवपुरा, बूंदी को भेजकर लेख है कि उक्त चयन समिति/निर्णायक मण्डल के संयोजक एवं सदस्यों के आवास की समुचित व्यवस्था करावें।
5. संबंधित कार्यालयध्यक्ष/संस्था प्रधान
6. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी
7. रक्षित पत्रावली


(ओम कसेरा)IAS
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर